



न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर,
~~राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.~~

R-298-III/14

मनोज कुमार पिता सुंदरलाल पत्तरीजा,
 निवासी वार्ड क्र. 10 रहली, तह. रहली, जिला सागर

—पुनरीक्षणकर्ता

- विरुद्ध -

श्रीमति स्वदेश पति गिरीश कुमार अरोरा,
 पुत्री स्व. रामलुभाया, निवासी ग्वालियर,
 द्वारा-कारदा- दरयावसिंह तनय गंधर्वासिंह ठाकुर,
 निवासी मोठारखुर्द, तहसील रहली, जिला सागर म.प्र.

— प्रत्यर्थी

" राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं."

"पुनरीक्षणकर्ता, विद्वान प्रथम अमील न्यायालय, श्रीमान
 अनुविभागीय अधिकारी-रहली, तहसील रहली, जिला सागर
 द्वारा राजस्व अमील क्रमांक 5ए/6- वर्ष 1912-13 पर पारित
 आदेश दिनांक 6.1.2014 से पीडित होकर निम्न पुनरीक्षण
 निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।"

II प्रकरण का संक्षेप II

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि, प्रत्यर्थी
 ने राजस्व प्रकरण क्र. 20ख/ 6- वर्ष 2005-06 पर विद्वान
 निम्न न्यायालय श्रीमान तहसीलदार रहली द्वारा पारित आदेश
 दि. 29.7.2009 के विरुद्ध प्रथम राजस्व अमील क्र. 5ए/6-12.13.
 विद्वान प्रथम अमील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रहली
 तहसील रहली, जिला सागर के समक्ष दिनांक 16.10.12 को प्रस्तुत
 की थी।

2. यह कि, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत यह अमील आदेश

श्री ख. के. व. प्र.
 17.1.14

21-9-2014
 9-9-2014

22-1-14

